न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	C.NO. 69/2024 मनराज V/S अंकित	
19/3/25	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। आ. लि. आज वास्ते [illegible] [illegible] पत्रावली 23/4/25 को पेश हो।	
23/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अतः पत्रावली वास्ते आदेशानुसार दि. 17/6/25 को पेश हो।	
	C.NO. 69/2024 उनवान मनराज V/S अंकित	
19.05.2025	वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रा०पत्र वास्ते पत्रावली नियत तिथि से पूर्व तलब कर पत्रावली को राजीनामे से निस्तारण किये जाने बाबत का पेश करते हुये न्यायहित मे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की [illegible] पत्रावली नियत तिथि से पूर्व आज तलब की गई। वकील उभयपक्ष उप., प्रार्थिया व अप्रार्थी 01 व 2 उप। वकील उभयपक्ष द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका [illegible] रिपोर्ट के अनुसार राजीनामे के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इसरार वकील उभयपक्ष को सुना गया, अतः न्यायहित एवं लोक अदालत की भावना को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) स्वीकार किया जाता है। अभि [illegible] पत्रावली मे शामिल किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो।	मनराज S/o मनराज प्रार्थी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

किशनगढ़

नकल ... अहकाम ... की तामील ... हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति निशा सहारण(आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 69/2024

मनराज पत्नी करतार जाति जाट निवासी छोटा लाम्बा, हाल निवासी बीती, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. **– प्रार्थीया**

बनाम

(1) अंकित शर्मा पुत्र श्री परमेश्वर जाति ब्राम्हण निवासी पानी की टंकी के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राज.

(2) परमेश्वर पुत्र श्री नाथूलाल जाति ब्राम्हण निवासी बीती, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.

(3) राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 19.05.2025

उपस्थित:: वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार
वकील अप्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री इन्द्रेश कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम बीती, पटवार हल्का बीती, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 447/167 रकबा 1.0113 हेक्टेयर स्थित है। जिसकी प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया ने एक नजरी नक्शा पेश किया है जो प्रार्थना पत्र का भाग है जिसे प्रार्थना पत्र का भाग समझकर पढा जावे। खसरा नम्बर 127 जो राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी नक्शे मे गै.मु.रास्ता दर्ज है व खसरा नम्बर 445/167 जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी जमाबंदी में दर्ज है। पूर्व मे खसरा नम्बर 445/167 खसरा संख्या सरकारी भूमि थी बाद मे अप्रार्थीगण को अलॉट हुई और शुरु से ही 445/167 मे मौके पर 15 फिट करीब का रास्ता बना हुआ और यह खसरा 445/167 की सींव से होते हुए काश्तकार आगे भी आते जाते रहे है। लेकिन राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज नही होने के कारण प्रार्थीया को बडी गम्भीर स्थिति का सामना करना पड रहा है और प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 102 को डी.एल.सी. दर से भुगतान करके उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहती है ताकि उसको आने जाने मे कोई बाधा नही हो। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि मे काश्त हेतु नजरी नक्शे मे दर्शित ए स्थान खसरा नम्बर 127 गै.मु. रास्ते से बी स्थान होकर खसरा नम्बर 453/167 जो नजरी नक्शे मे दर्शित एक्स एक्स स्थान के सींव से होते हुए अपनी कृषि भूमि मे आती जाती रही है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दादा किस्म के व्यक्ति है तथा आये दिन प्रार्थीया के उक्त रास्ते मे मिटटी खोद देते है तथा कांटे की छडियां डालकर रास्ते मे जो नजरी नक्शा मे दर्शित ए टू बी भाग को छडिया

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

लगाकर बंद कर देते है जिसे कई बार प्रार्थीया व गांव वालो के कहने पर उक्त रास्ते को खोल देते है। वर्तमान समय आधुनिक युग तथा मशीनरी युग है तथा काश्त हेतु साधनो को लाने ले जाने हेतु व मवेशियो को व ट्रेक्टर को आने जाने हेतु 15 फीट रास्ते की आवश्यकता होती है। दिनांक 16/05/2024 को अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 445/167 की सींव पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को सींव के रास्ते पर आने जाने में व्यवधान पैदा किया तथा प्रार्थीया जिससे प्रार्थीया के काश्त मे व्यवधान उत्पन्न हो रही है। नजरी नक्शे मे दर्शित ए टू बी भाग राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है तथा प्रार्थीया के भूमि मे जाने के लिये नजरी नक्शे मे दर्शित ए टू बी भाग खसरा नम्बर 127 गै.मु. रास्ते से खसरा नम्बर 445/167 की सींव के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं। प्रार्थीया को काश्त हेतु ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने ले जाने के लिये 15 फीट रास्ता खसरा नम्बर 445/167 की सींव से रास्ता प्राप्त करने व राजस्व रिकोर्ड नक्शे मे उक्त रास्ता दर्ज करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खसरा नम्बर 445/167 नम्बर की प्रार्थीया के उक्त 15 फीट रास्ते मे जो भी भूमि जाती है उसकी प्रार्थीया डी.एल.सी. दर से भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम बीती स्थित ख.नं. 127 गै.मु.रास्ता से नजरी नक्शे मे दर्शित ख.नं. 445/167 की भूमि मे से ए टू बी रास्ता प्रार्थीया को लगभग 15 फीट का रास्ता कृषि कार्य करने हेतु अपने कृषि भूमि में आने जाने के लिये रास्ता दिलाने की कृपा करावे एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 को डी.एल.सी. दर से राशि दिलाने की कृपा करावे एवं अन्य अनुतोष जो अदालत उचित समझे प्रार्थीया को दिलाने की कृपा करावे ।

अप्रार्थी की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर उपस्थित हुये। दिनांक 28.02.2025 को तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीया की ग्राम बीती स्थित भूमि खसरा संख्या 447/167 में आवागमन हेतु कोई मार्ग नहीं है जिसके लिये अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 445/167 में से 0.0725 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर रास्ता दिया जा सकता है, प्रस्तावित रास्ते हेतु भूमि की कीमत वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार 1,25,890 अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ नब्बे रूपये होती है। अन्य कोई निकटतम अथवा वैकल्पिक मार्ग मौजूद नहीं है।

दिनांक 19.05.2025 को वकील उभयपक्ष एवं प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित हुये तथा निवेदन किया कि उपरोक्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा आपसी सहमति से समस्त विवाद समाप्त कर लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है एवं प्रार्थी द्वारा स्वयं की ग्राम बीती के खसरा संख्या 447/167 जिसमें उनके पास आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 02 की भूमि खसरा संख्या 445/167 के सींव से जो अर्जी में अनुसंलग्न मानचित्र में रास्ता चाहा गया है। उक्त बाबत् रास्ता कायम किये जाने में अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। जो जिला स्तरीय दर है वह राशी प्रावधानोनुसार अदा की जायेगी । अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थित अनुतोष राजीनामें के आधार पर पारित किये जाने की कृपा करावे।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष को सुना गया एवं तहसीलदार किशगनढ की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया की ग्राम बीती स्थित भूमि खसरा संख्या 447/167 में आवागमन हेतु कोई मार्ग नहीं है जिसके लिये अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 445/167 में से 0.0725 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर रास्ता दिया जा सकता है, प्रस्तावित रास्ते हेतु भूमि की कीमत वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार 1,25,890/– अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ नब्बे रूपये होती है। अन्य कोई निकटतम अथवा वैकल्पिक मार्ग मौजूद नहीं है, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने राजीनामा के अनुसार तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने में अनापत्ति जाहिर की है। इस प्रकार प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 447/167 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 445/167 में से रास्ता दिया जाना उचित है, जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

आदेश

तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता प्रस्तावित करने हेतु प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगणों के मध्य हुये राजीनामे के अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की भूमि ग्राम बीती खसरा संख्या 445/167 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0725 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर 8,68,200/– रू0 प्रति हैक्टैयर के अनुसार ख0नं0 445/167 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0725 हैक्टेयर भूमि की निर्वापित राशि की दोगुणा राशि 1,25,890/– रू0 अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ नब्बे रूपये होती है, जो प्रार्थी द्वारा, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0725 हैक्टैयर भूमि का मुआवजा राशि 1,25,890/– रू0 अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ नब्बे रूपये तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रतिभूति राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 1021 दिनांक 25.02.2025 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0725 हैक्टैयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ